



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018—भाद्र 29, शक 1940

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-09-2018-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी 04.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील का पदनाम (4)	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील पदनाम (6)
4.17	भूमि बंधक दर्ज करना।	तहसीलदार	03 कार्य दिवस।	अनुविभागीय अधिकारी	15 कार्य दिवस।	संभागीय आयुक्त
4.18	भूमि बंधक निर्मुक्ति दर्ज करना।	तहसीलदार	03 कार्य दिवस।	अनुविभागीय अधिकारी	15 कार्य दिवस।	संभागीय आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव।